मध्य प्रदे1 1 1

म1जिक न्य1य विभ1ग 1

मंत्र1लय, भ`प1ल

क्र.1 54 /26–2/2013/ भ1प1ल, दि1 1क 25.04.2013 1

प्रति, 1

. 1 **मस्त 1ं1भ1ग युक्त, मध्य प्रदे1 1**

2. 1 **मस्त कलेक्टर, मध्य प्रदे 1**

3. 1 **मस्त अ1युक्त 1**

1 गर 1ि1गम, मध्य प्रदे1 1

4. 1 **मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री**

1 जिल1 पं1च1यत, मध्य प्रदे1 1

5. 1 **मस्त 1ं1युक्त 1ं1च1लक/उप 1ं1च1लक 1**

1 म1जिक न्य1य, मध्य प्रदे1 1

6. 1 **मस्त मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री**

1 ज1पद पं1च1यत, मध्य प्रदे1 1

7. 1 **मस्त मुख्य 1गरप1लिक1 अधिक1री 1**

1 गर प1लिक1/1गर परिषद, मध्य प्रदे1 1

1

विषय: **इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 (IGNOAPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं1प्रद1य कर 1**
इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय विधव1 पें1 योज1 (IGNWPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं प्रद1य कर 1
इंदिर ग1ंधी र1ष्ट्रीय 1ि:1क्त पें1 योज1 (IGNDPS) प्रथम ब1र स्वीकृति एवं1प्रद1य के11 1ं1बंध में1

1

1ंदर्भ:– ल1क 1`व1 प्रबंध1 विभ1ग की अधि1ूच1 क्रम1ंक 1एफ 1308–05–01–2010 1 दि1ं1क 24.09.201 में11 मिल 1`व11 क्रम1ंक 7.2, 7.3 एवं 7.4 1

1

—0— 1

1

1 भ1रत 1रक1र, ग्र1मीण विक1 मंत्र1लय, ग्र1मीण विक1 विभ1ग द्व1र र1ष्ट्रीय 1 म1जिक 1ह1यत1 क1र्यक्रम (NSAP) के1अंतर्गत गरीबी रेख1 1` 1ीचे जीव1–य1प1 1 कर1े1व1ले1परिव1रों1क1े1अ1र्थिक 1ह1यत1 प्रद1य कर1े1के1उद्दे1य 1` इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1, विधव1 एवं 1ि:1क्त पें1 योज1 1ं1च1लित की ज1 रही है । योज1 अों1 क1 1 क्रिय1न्वय1 एवं 1ं1च1ल1 म0प्र0 1 , 1 म1जिक न्य1य विभ1ग द्व1र1 किय1 ज1 रह1 है। 1

1 भ1रत 1रक1र, ग्र1मीण विक1 मंत्र1लय, ग्र1मीण विक1 विभ1ग के1क1र्य1लयी ज्ञ1प1 के11 म1ं1व्यक क्रम1ंक/जे–1 015/1/2012/ए1ए1एपी दि1ं1क 8 1वम्बर 1 2012 के1द्व1र र1ष्ट्रीय 1 म1जिक 1ह1यत1 क1र्यक्रम (NSAP) के1अंतर्गत मौजूद1 पें1 1 योज1 अों1 में1अ1यु 1ीम1 एवं1पें1 र1ि के म1पदण्डों11 में11ि1म्1 ु1 र 1ं1`ध1 किय1 गय1 है :– 1

1

. **इंदिर1 ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 योज1 (IGNOPS) 1**

1

.1 **प1त्रत1 के म1पदण्ड 1**

- अ1वेदक (पुरूष अथव1 स्त्री) की अ1यु 60 वर्ष अथव1 इ1 ` अधिक की हो1। 1
- अ1वेदक क1े भ1रत 1रक1र द्व1र1 1िर्ध1रित म1पदण्ड के अ1ु1 र गरीबी रेख1 1 ` 1ीचे1जीव1 ब1 र कर1े1व1ले1परिव1र 1`11 1ंबंधित हो11 च1हिए।

1

.2 **पें1 की र1ि 1**

- 60 वर्ष 1`164 वर्ष तक अ1यु1के1हितग्र1हियों11क1े प्रतिम1ह रु. 200 (के1न्द्र11 ) की दर 1`1इंदिर ग1ंधी र1ष्ट्रीय वृद्ध1वस्थ1 पें1 प्रद1य की ज1ये। 1

- 65 वर्ष 1` 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों 1 के प्रतिमाह रु. 275 की दर 1`1 पें1 प्रदाय की जाये, जि1 में 1 रु. 200 1केन्द्र 1 तथा रु. 175 राज्य 1 म्मिलित होगा। 1
- 80 वर्ष अथवा इ1 `1 अधिक आयु 1 के हितग्राहियों 1 को 1 प्रतिमाह रु. 500 (केन्द्र 1) की दर 1` इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पें1 प्रदाय की जाये। 1

1

.3 आव1यक दस्तावेज 1

आयु 1 के 1 लिए ि1 लिखित में 1 `1 कोई 1 एक

- स्कूल का 1 प्रमाणपत्र/अंक 1ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1ूची
- स्वयं का 1 मतदाता 1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा 1 1त्यापित आयु 1 के 1 1बंध 1 में 1 पथ1 पत्र

1

.4 आवेदक के 1 प1 पोर्ट 1 1 ईज के 3 फोटोग्राफ 1

1

.5 आवेदन पत्र 1

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पें1 योजना प्राप्त करने के लिए आवेदन 1 का 1 प्रारुप परिशिष्ट–1 1

1

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पें1 योजना (IGNWPS)

1

2.1 पात्रता के मापदण्ड 1

- आवेदिका की आयु 40 वर्ष 1`1 79 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को भारत 1रकार द्वारा 1िर्धारित मापदण्ड के अ1ु1ार गरीबी रेखा 1 `1 1ीचे 1 जीव1 बि1र कर1े वाले 1 परिवार का 1 1दस्य होना चाहिए।

2.2 पें1 की राशि 1

- विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह रु. 300 की दर 1` पें1 केन्द्र 1 1 मद 1`1 प्रदाय की जावे। 1

1

1 2.3 आव1यक दस्तावेज 1

आयु 1 के 1 लिए ि1 लिखित में 1 `1 कोई 1 एक

- स्कूल का 1 प्रमाणपत्र/अंक 1ूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता 1ूची
- स्वयं का 1 मतदाता 1 परिचयपत्र 1
- चिकित्1क प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 1` कोई दस्तावेज उपलब्ध 1हीं होने पर 1`टरी या प्रथम 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा 1 1त्यापित आयु 1 के 1 1बंध 1 में 1 पथ1 पत्र

1

2.4 आवेदिका के 1 प1 पोर्ट 1 1 ईज के 3 फोटोग्राफ 1

1

1 2.5 विधवा के 1 लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- पति की मृत्यु 1 का 1 प्रमाण 1 पत्र

1 **2.6 आवेदन पत्र** 1

- इंदिर गंधी रष्ट्रीय विधव पें1 यो1ज1 प्र प्त कर1 1 के1 लिए अ वेदन 1 क1 प्र1रुप परि1 ष्ट–1 1

3. इंदिर1 गंधी राष्ट्रीय ि:1 क्त पें1 योजन (IGNDPS) 1

1

3.1 पात्रत1 के म1पदण्ड 1

- आवेदक की आयु 18 वर्ष 1 ` 179 वर्ष होगी। 1
- आवेदक को1 भ1रत 1 रक1र द्व1र1 ि1र्धारित म1पदण्ड के अ1ु1 र गरीबी रेख 1 ` ीचे1 जीव1 ब1 र कर1 1 व1ले1 परिव1र 1 ` 11 ंबंधित हो1 च हिए।
- ि:1 क्त व्यक्ति (1 म1 अव1 र, अधिक रों1 क ंरक्षण और पूर्ण भ1 गीद री) 1 अधि1 यम 1 995 तथ1 द 1 ` 1 ल ट्रस्ट फ र वेलफेयर ऑफ प1 ` 1 विथ आर्टिज्म, 1 ` रेब्रल 1प1ल1 ी, 1मेंटल 1रिट1रडे1 1एण्ड 1मल्टीपल 1डि1 ` बिलिटी 1 एक्ट, 1 999 के1 अ1ु1 र 80 प्रति1 त ि:1 क्तत एवं11 ीबीयर डि1 ` बिलिटी 1 हो1 च1हिए 1

1

3.2 पें1 की र1ि 1

- ि:1 क्त हितग्र1ही को1 प्रतिम1ह रु. 300 की दर 1 ` 1 पें1 केन्द्र1 मद 1 ` 1 प्रद1य की ज1वे1।

3.3 आव1यक दस्त1वेज 1

आयु1 के1 लिए ि म्1 लिखित में1 ` 1 कोई एक 1

- स्कूल क1 प्रम1ण1पत्र / अंक ूची 1
- जन्म प्रम1ण1पत्र 1
- मतद त 1 ूची
- स्वंय क1 मतद1त1 परिचयपत्र 1
- चिकित1 क प्रम1ण1पत्र
- उपरोक्त में 1 ` कोई दस्त वेज उपलब्ध 1 हीं हो1 पर 1 ` टरी य प्रथ म 1 श्रेणी मजिस्ट्रेट द्व1र1 1 त्य1पित आयु1 के11 ंबंध1 में 1 पथ1 पत्र

1

3.4 आवेदक के1 प1 पोर्ट11 ईज 3 फोटोग्र1फ

1

3.5 ि:1 क्तत1 पें1 के1 लिए अतिरिक्त दस्त1वेज 1

- चिकित1 क द्व1र1 ज1री ि:1 क्तत1 क1 प्रम1ण1पत्र 1

3.6 आवेदन पत्र 1

- इंदिर1 गंधी राष्ट्रीय ि:1 क्त पें1 योजन1 प्र1प्त कर1 1 के1 लिए अ वेद1 1 क1 प्र1रुप परि1 ष्ट–1 1

4. स्वीकृति हेतु1 प्र1धिकृत अधिक1री 1

1

क्षेत्र 1	अधिक1री 1	मय1वधि 1
(1)	(2)	(3)
ग्र1मीण1 1 क्षेत्र 1 के लिए 1	मुख्य क1र्यप1ल1 अधिक1री, 1 ज1 पद पंच1यत 1	60 क1र्य दिव1 1
गरीय 1 क्षेत्र 1 के लिए 1	आयुक्त, 1 गर ि गम 1 मुख्य 1 गरप1लिक1 1अधिक1री, गर प1लिक1/ 1 गर परिषद 1	60 क1र्य दिव1 1

5. अपीलीय अधिकारी 1

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी 1	मयावधि	द्वितीय अपीलीय 1 अधिकारी 1	मयावधि
(1) 1	(2) 1	(3) 1	(4) 1	(5) 1
ग्रामीण1 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 मुख्य 1 कार्यपाल1 अधिकारी, 1ज1 पद पंचायत 1	अ1ुविभ1गीय अधिकारी 1 (र1जस्व) 1	30 1 कार्य दिव1 1	कलेक्टर	30 1 कार्य दिव1 1
गरीय 1 क्षेत्र 1 के लिए 1 1 अायुक्त, 1 गर िगम 1 1 मुख्य 1 गर पालिक1 अधिकारी, गर 1 पालिक1/ गर परिषद 1	1 1 कलेक्टर 1 1 अ1ुविभ1गीय 1 अधिकारी 1 (र1जस्व) 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1	1 1 ंभ1ग1युक्त 1 1 कलेक्टर 1	1 1 30 1 कार्य दिव1 1 1 30 1 कार्य दिव1 1

6. पें1 स्वीकृत करा1 1की प्रक्रिय1

6.1 ग्र1मीण1 क्षेत्र

6.1. अ वेदक द्व र इ1 1 े के1 लिए अ वेद1 पद भिहित अधिक री (मुख्य क र्यप ल1 अधिक री, ज1 पद पंच1यत) को11 प्रस्तुत किय जावेग1। 1

6. .2 अ वेद पर ग्र म पंच यत 1 े अ व1यक प्रतिवेद प्र प्त किय जायेग1। 1

6. .3 अ वेदक द्व र प्रचलित प्रक्रिय अ1ु1 र यदि अ वेद1 पंच यत चिव के1 मक्ष1 ग्र म पंच यत में प्रस्तुत किये ज ते हैं1 तो1 उक्त अ वेद1 क1 परीक्ष1 कर अ1वेद1 स्वीकृति हेतु1 बंधित पद1भिहित अधिक री (मुख्य क र्यप ल1 अधिक री, ज1 पद पंच यत) को11 भेज ज वेग । इ1 स्थिति में11 मय–1ीम पद भिहित अधिक री के क र्यालय में1अ1वेद1 पत्र प्र प्त हो11 1की दि1 ंक 1 े1प्रारंभ1 होगी। 1

6.1.4 1 1 प्रतिवेद 1प्र1प्त 1हो11 1पर 1प्रकरण1 1स्वीकृत/अस्वीकृत 1किय1 ज येग । स्वीकृति की द1 में1पें1 र ि क भुगत1 अ वेद1 दि1 ंक 1 े1 किय ज येग और अस्वीकृति की द1 में1क रण हित स्वस्पष्ट अ दे1 विहित प्ररूप (1 ंलग) में प रित किय जायेग । यह 1 ंपूर्ण1 कार्यवाही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्ण1 होगी।

6.1.5 1 1 पें1 क अगले1म ह 1 े1भुगत1 पें1 की ि यमित प्रक्रिय 1 े1 ह ेग1। 1

1

1

6.2 1 गरीय क्षेत्र

6.2. अ1वेद1 1 पद1भिहित 1 अधिक1री 1 के1 रूप 1 में 1 अ1युक्त / मुख्य गरप लिक 1 अधिक री, 1 गर 1 1ि गम / 1 गर 1 प लिक / 1 गर परिषद के11 प्रस्तुत किय1 ज1वेग1, उ की तत्क1ल प1वती 1 बंधित द्व1र1 दी ज1येगी। 1

6.2.2 अ वेद1 पर कि1ी अधी1स्थ 1` अ व1यक जांच प्रतिवेद1 प्र प्त किय1 ज1येग1। 1

6.2.3 1 1 प्रतिवेद 1 प्र1प्त 1 हो11 1 पर 1 प्रकरण1 1 स्वीकृत / अस्वीकृत 1 किय1 ज येग । स्वीकृति की द1 में1 पें1 र 1ि क भुगत1 अ वेद1 दि1 क 1`1 किय ज येग और अस्वीकृति की द1 में 1क1रण1 हित 1स्वस्पष्ट अ दे1 विहित प्र रूप (1 ंलग) में प रित किय ज1येग । यह 1 ंपूर्ण1 क1र्यव1ही अधिकतम 60 दिव1 में1 पूर्ण1 हो1गी।

6.2.4 1 1 पें1 की प त्रत हो11 की स्थिति में पें1 र 1ि अ वेद –पत्र पंजीय1 हो11 के1 म ह 1` 1 स्वीकृत की ज वेगी और र 1ि क भुगत1 स्वीकृति अ1दे1 के11 थ ही हो ग । 1

6.2.5 पें1 क अगले1 म ह 1` 1 भुगत1 पें1 की 1ि यमित प्रक्रिय `1 हो ग1। 1

7. 1 अ वेदक को11 उ1 के1 द्व र अ वेद1 प्रस्तुत कर1 1 के11 थ ही उ1` अभिस्वीकृति 1 प्रद1य की ज1वेगी। अभिस्वीकृति क1 प्र1रूप 1 ंलग है। (परि1ि ष्ट–2) 1

8. 1 अधि ूचित 1` व अों1 के1 अ वेद1 पंजीय1 कर1 1 हेतु1 मध्यप्रदे1 लोक 1` व अों1 के1 प्रद1 कीग1रंटी (अ1वेद , अपील, पु1 रीक्षण1, 1 स्ति की व1 ूली तथ1 प्रतिकर क1 भुगत1) अधि1ि यम 2010 के1 1ि यम–6 में1 1ि र्धारित पंजी क 1 ंध1रण किय 1 ज1 च हिए। एक ही अ वेद1 को1 पृथ क–पृथ क पंजीयों1 में1 इन्द्र1ज कर1 अ व1यक 1 हीं1 हो1ग1। (परि1ि ष्ट–3) 1

9. 1 अ वेद1 पत्र लेते11 मय अ वेदक क1 मो1ब1ईल 1 म्बर क1 उल्लेख भी कर य ज वे त1कि अ1व1यकत1 ु1 र उ1` ए1 एमए1 द्व1र1 अलर्ट किय1 ज1 1 के1

0. 1 पद1भिहित अधिक1री द्व1र1 प1त्र हितग्र1हियों1 के पें1 स्वीकृति के1 अ दे1 ज1री कर1 1 के1 पूर्व1 हितग्र1ही के1 1ि व1 के1 1ि कटतम र1ष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट अ1फि1 1 में1 बचत ख1त1 खुलव1य1 ज1ये1 तथ1 स्वीकृति अ1दे1 में1 बैंक / पोस्ट अ1फि क1 म एवं1 उ1 क ख1 त क्रम1ंक अंकित कर ज री किय ज ये1। यह क र्यव1ही पद भिहित अधिक री को11 लोक 1` व प्रद य की ग रंटी अधि1ि यम 2010 में1 दी गई 60 दिव1 की तय 1 मय–1ीम1 के भीतर ही कर1 हो1गी। 1 वी1 स्वीकृति अ1दे1 के1 प1च1त्1 हितग्र1ही के1 ख1ते1 में1 प्रथम कि1त के ज1री हो11 1 पर ही पें1 1 स्वीकृति अ1दे1 विधिम1न्य हो1ग1। 1

1 1 यह अ1दे1 दि1 ंक 01.04.2013 1` प्रभ1 व1 ील हो1ग1 ।

1

1

1

(व्ही0के0 ब1थम) 1

चिव 1

म.प्र. 1 1

1 म1जिक न्य1य विभ1ग 1

1

1

पृ.क्रं1 क्रं1 54 /26–2/2013/ भोपा1ल, दि1ंक 25.04.2013

प्रतिलिपि :– 1

.1 मुख्यमंत्री के1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपा1ल

2.1 मुख्य 1 चिव के 1 चिव, मध्य प्रदे1 1 , भोपा1ल

3.1 अपर मुख्य 1 चिव, म0प्र0 1 , 1 मा1जिक न्याय विभा1ग म0प्र0 भोपाल 1

4.1 बंधित विभा1गों1के अपर मुख्य 1 चिव/प्रमुख 1 चिव/1 चिव, मध्य प्रदे1 , भोपाल 1

5.1 आयुक्त, 1 मा1जिक न्याय, म0प्र0 भोपा1ल

6.1 आयुक्त, 1 गरीय प्र1 एवं1विका1 विभा1ग म0प्र0 भोपाल

7.1 आयुक्त, पंचायतीरा1ज 1 चा1ल1 लय, म0प्र0 भोपा1ल

1

1

उप सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय विभाग

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1